

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 60/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शिवजी पुत्र बालका (फौत के कायम मुकाम) 1/1 राणाराम पुत्र शिवजीराम 1/2 वेहनाराम पुत्र शिवजीराम जातियान राईका निवासी एड सिणधरी जिला बालोतरा		1. सिरदाराराम पुत्र पूनमाराम (फौत के कायम मुकाम) 1/1 नवाराम पुत्र सिरदाराराम 1/2 बांकाराम पुत्र सिरदाराराम 1/3 मगाराम पुत्र सिरदाराराम 1/4 चम्पादेवी पुत्री सिरदाराराम 1/5 तुलसी कुमारी पुत्री सिरदाराराम 1/6 अतियों देवी पत्नी सिरदाराराम 2. महेन्द्राराम पुत्र पूनमाराम 3. बेसरा पुत्र सावती 4. निम्बाराम पुत्र बादराराम 5. राणाराम पुत्र बादराराम 6. देवाराम पुत्र बांदराराम जाति राईका निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी 7. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 8. तहसीलदार एवं उप पंजियक सिणधरी 9. आदुराम पुत्र बादराराम जाति राईका निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955

उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत प्रतिवादी सं. 1 व 2 उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 08 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 05.03.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि मौजा- एड सिणधरी मण्डल एड सिणधरी के खसरा संख्या 223,232,241,251 कुल रकबा 23,0242 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 13.11.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- एड सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के खसरा संख्या 223,232,241,251 कुल रकबा 23.0242 हैक्टेयर के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	राणाराम पुत्र शिवजीराम 1/2 वेहनाराम पुत्र शिवजीराम 1/2 सा.देह खातेदार रहन आरएमजीबी सिणधरी	एड सिणधरी	223	1.7313	बा.दो.	0.10	गुलाबी
			232	1.9012	बा.दो.	0.11	
			241	3.4422	बा.दो.	0.21	
			249	1.5573	बा.दो.	0.09	
			251	2.8477	बा.दो.	0.17	
		कुल		11.4797		0.68	
2	नवाराम पुत्र सिरदाराराम 5/36 बांकाराम पुत्र सिरदाराराम 5/36 मगाराम पुत्र सिरदाराराम 5/36 अतियोदेवी पत्नि सिरदाराराम 1/12 महेन्द्राराम पुत्र पूनमाराम 1/2 जाति राईका सा.देह खातेदार	एड सिणधरी	232	4.1825	बा.दो.	0.25	हरा
			241	1.5574	बा.दो.	0.09	
		कुल		5.7399		0.34	
3.	लिखमाराम शेराराम हेमाराम हरचंद देवासी ईमरतीदेवी गंगादेवी चनणी चुनीदेवी राजोंदेवी पि. बेसराराम 74/89 आदुराम देवाराम निम्बाराम राणाराम पि. बादराराम 15/89 हि. जाति राईका सा.देह खातेदार	एड सिणधरी	249	5.7399	बा.दो.	0.35	केसरिया
5.	राज.सरकारी (रास्ता)	एड सिणधरी	232	0.647	गै.मु.रास्ता		पीला

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिक्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शिवजी पुत्र बालका (फौत के कायम मुकाम) 1/1 राणाराम पुत्र शिवजीराम 1/2 वेहनाराम पुत्र शिवजीराम जातियान राईका निवासी एड सिणधरी जिला बालोतरा		1. सिरदाराराम पुत्र पूनमाराम (फौत के कायम मुकाम) 1/1 नवाराम पुत्र सिरदाराराम 1/2 बांकाराम पुत्र सिरदाराराम 1/3 मगाराम पुत्र सिरदाराराम 1/4 चम्पादेवी पुत्री सिरदाराराम 1/5 तुलसी कुमारी पुत्री सिरदाराराम 1/6 अतियों देवी पत्नी सिरदाराराम 2. महेन्द्राराम पुत्र पूनमाराम 3. बेसरा पुत्र सावती 4. निम्बाराम पुत्र बादराराम 5. राणाराम पुत्र बादराराम 6. देवाराम पुत्र बादराराम जाति राईका निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी 7. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 8. तहसीलदार एवं उप पंजियक सिणधरी 9. आदुराम पुत्र बादराराम जाति राईका निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

दावा बाबत:— 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 60/2017

निर्णय दिनांक :- 05.03.2025

वादी की ओर से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता तथा राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.03.2025 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:— वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 05.03.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 05.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	